UPLL010027472026

# न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 899/2026**

**जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. देवी सिंह उर्फ देव सिंह यादव, निवासी ग्राम डकोर, थाना जालौन, हाल पता प्रेमगंज, थाना सीपरी बाजार, जिला झांसी, उ.प्र.।**

**–––––आवेदक/अभियुक्त।**

**बनाम**

**स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।**

**–––––विपक्षी।**

**मु०अ०सं० 91/2026**

**धारा 316(2), 108, 56, 3(5), 61(2) बी.एन.एस.,**

**थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।**

दिनाँकः 10.07.2026

आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 91/2026, धारा 316(2), 108, 56, 3(5), 61(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 899/2026 प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जेल में निरुद्ध हैं।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र में कहा गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसकी ओर से कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया है, न विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है। उक्त तथ्यों का कोई खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

4. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रोहित यादव उर्फ निक्की द्वारा मुकामी थाने कोतवाली ललितपुर में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि 2–3 वर्ष पूर्व भूपेन्द्र तिवारी के माध्यम से उसके जिला पंचायत कार्यालय के सामने स्थित कार्यालय में गोलू उर्फ सत्यभान यादव से उसकी मुलाकात हुई। गोलू यादव उर्फ सत्यभान उससे अपने अन्य साथियों के साथ मिलने जुलने लगा। माह जनवही 2024 में उससे पचास हजार रुपये उधार मांगे तो उसने अपने फोन नम्बर 9889789633 के माध्यम से 40,000/– रुपये दे दिये। फिर गोलू यादव ने माह अप्रैल में 50,000/– रुपये फिर से उधार मांगे तो उसने अपने फोन पे नम्बर 9889789633 के माध्यम से 40,000/– दे दिये। उससे नगदी के रूप में 55000/– रुपये ले लिये। उसने माह जुलाई वर्ष 2024 में अपने रुपये वापस मांगे तो गोलू उर्फ सत्यभान ने टाल–मटौल करने के बाद अपने फोन पे के माध्यम से 8000/– रुपये वापस दिये। शेष 1,27,000/– को यह कहकर टाल–मटौल कर देता था कि जब पैसा होगा, तब वापस दे देंगे। उसने मांह अक्टूबर 2025 में अपने रुपये गोलू यादव से मांगे तो वह आक्रोशित होकर उसके साथ गाली गलौच करने लगा और बोला कि उसे और रुपये दो तथा रुपये देने वाली बात किसी को बतायी तो उसे व उसके पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा देगा। तब उसने रुपयो की व्यवस्था करने के लिए कुछ समय देने के लिए गोलू से कहा। तब गोलू यादव ने कहा कि "साले आज तो छोड़ दे रहे

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 17:04:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हैं। अगर 02 दिन में पैसे की व्यवस्था नहीं किये तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को जान से मारकर फेंक दूंगा।" वह काफी डर गया, इसलिये यह बात किसी से नहीं बतायी। दिनाँक 22.12.2025 को मोटरसाइकिल से वह और उसका मित्र दुष्यन्त रेलवे ओवर ब्रिज से बच्चा जेल रोड नेहरूनगर जा रहे थे कि तभी श्यामा मैरिज गार्डन बच्चा जेल तिराहा के पास गोलू उर्फ सत्यभान यादव ने उसे जबरन रोक लिया और गोलू उर्फ सत्यभान यादव ने उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर कहा कि "साले तुझसे मैंने रुपये मांगे थे और तुम्हे दो दिन का टाइम दिया था, लेकिन तुम ने अभी तक रुपये नहीं दिये हैं। अभी तुम मुझे पचास हजार रुपये दो नहीं तो मैं तुम्हें गोलू मार दूंगा।" उसने अपनी जान बचाने के लिए पैंट की जेब में रखे 10,000/– रुपये निकाल कर गोलू यादव को दे दिये और अपनी जान बचायी। तब गोलू उर्फ सत्यभान यादव ने कहा कि जितना रुपया मांगा है, उतना रुपया दो, नहीं तो गोलू मार देंगे। काफी अनुनय–विनय करने पर वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हुए व रुपयों की व्यवस्था करने को कहकर चले गये। वह काफी डर गया था। उसने यह बात किसी को नहीं बतायी। उसके सामने भूपेन्द्र तिवारी के साथ भी इन लोगों ने दिनाँक 02.11.2025 को घटना कारित थी।

5. वादी मुकदमा रोहित यादव उर्फ निक्की की उक्त तहरीर के आधार पर सह अभियुक्त गोलू यादव उर्फ सत्यभान के विरुद्ध मुकामी थाने में अपराध संख्या 91/2026 पर धारा 316(2), 352, 351(3), 126(2), 308(5) बी.एन.एस. में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा 3(5) व 61(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर सह अभियुक्त गोलू उर्फ सत्यभान के विरुद्ध धारा 316(2), 352, 351(3), 126(2), 308(5), 61(2) व 3(5) बी.एन.एस. एवं आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 316(2), 108, 56, 61(2), 3(5) बी.एऩ.एस. में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है तथा अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बेगुनाह एवं बेकसूर है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, बल्कि वह जिम्मेदार पुलिस का सिपाही है और उसके द्वारा पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया गया है। उसने सह अभियुक्त को आत्महत्या का स्टेटस वाट्सएप्प अकाउंट पर लगाने के लिए नहीं कहा है। वादी मुकदमा द्वारा बयानों में उसका नाम नहीं लिया गया है, बल्कि मामले के सह अभियुक्त के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी और सह अभियुक्त द्वारा पुलिस विभाग के उत्पीड़न के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस उच्चाधिकारियों को दिया गया था, जिसमें पुलिस के लोगों को यह शक था कि उक्त प्रार्थना पत्र उसके द्वारा दिलाया गया है। उसने किसी भी प्रकार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह किसी षडयन्त्र ने शामिल नहीं रहा है और ना ही किसी प्रकार की अमानत में ख्यानत की गयी है। पुलिस उच्चाधिकारियों को की गयी शिकायत के चलते उसे मुल्जिम बना दिया गया है। मामले में जो भी गवाह है, वे पुलिस के गवाह है।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा, सह अभियुक्त के साथ मिलकर लोगों से पैसे लेने, अमानत में ख्यानत करने, जमीन के सामने में हड़काने और किसी के द्वारा रुपये मांगने पर आत्महत्या की धमकी देने का आपराधिक षडयन्त्र करते हुए सह अभियुक्त गोलू उर्फ सत्यभान को एस.ओ.जी. प्रभारी व सिपाही का नाम लेकर आत्महत्या करने हेतु उकसाया गया है। अभियुक्त पुलिस सिपाही है और उसके द्वारा पुलिस गोपनीयता भी भंग की गयी है।

8. पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि घटना की प्राथमिकी वादी मुकदमा रोहित यादव उर्फ निक्की द्वारा सह अभियुक्त गोलू उर्फ सत्यभान के विरुद्ध नामजद दर्ज करायी गयी

थी। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह यादव का नाम प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त पर सह अभियुक्त गोलू यादव उर्फ सत्यभान के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र करके लोगों से पैसे लेने, मांगने पर आत्महत्या का स्टेटस लगाकर आत्महत्या कर लेने के लिए उकसाने तथा अमानत में ख्यानत करने का आरोप है।

9. **वादी मुकदमा रोहित यादव उर्फ निक्की ने विवेचक को दिये गये अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्राथमिकी के कथनों का समर्थन करते हुए कहा है कि** गोलू यादव उर्फ सत्यभान से उसकी दोस्ती करीब 2–3 वर्ष पूर्व भूपेन्द्र तिवारी के माध्यम से हुई थी। गोलू से उसकी बातचीत होने लगी जो दोस्ती में बदल गयी। माह जनवरी 2024 में गोलू ने उससे पचास हजार रुपये उधार मांगे तो उसने अपने फोन पे से 40,000/– रुपये दे दिये थे। उसने एक माह में वापस करने की बात की थी, लेकिन ना गोलू ने दिये और ना ही उसने मांगे। इसके बाद माह अप्रैल में गोलू ने दोबारा 50,000/– रुपये उससे उधार मांगे तो, तब भी उसके पास 40,000/– रुपये ही पड़े थे, तो उसने अपने फोन पे के माध्यम से 40,000/– गोलू को दे दिये। इसके बाद गोलू ने उससे और रुपये उधार मांगे तो उसने नगद 55000/– रुपये भूपेन्द्र तिवारी और दुष्यन्त राजा के सामने, भूपेन्द्र तिवारी के ऑफिस में गोलू को दे दिया। उसने माह जुलाई वर्ष 2024 में अपने रुपये वापस मांगे तो गोलू उर्फ सत्यभान ने टाल–मटौल करने के बाद अपने फोन पे के माध्यम से 8000/– रुपये वापस दिये। इसके बाद वह अपने रुपये मांगता रहा, लेकिन गोलू टाल–मटौल करता रहा। उसने गोलू के पिता से भी रुपये वापस देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि गोलू उससे आकर मिलेगा, लेकिन गोलू ना तो उससे मिला और ना ही उसका रूपया वापस किया। उसने गोलू के पिता से फोन पर रुपये वापस करने के लिए कहा तो उनके द्वारा बताया गया कि गोलू उससे मिलने के मना कर रहा है और मरने की धमकी दे रहा है। उसके पिता ने कहा कि अगर गोलू ने कुछ कर लिया तो वे उसका नाम लेंगे। उसने गोलू को फोन किया, लेकिन गोलू ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। माह अक्टूबर 2025 में उसने गोलू यादव से अपने रुपये मांगे तो वह आक्रोशित होकर उसके साथ गाली गलौच करने लगा और बोला कि उसे और रुपये दो तथा रुपये देने वाली बात किसी को बतायी तो उसे व उसके पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा देगा। तब उसने रुपयों की व्यवस्था करने के लिए कुछ समय देने के लिए गोलू से कहा। तब गोलू यादव ने कहा कि "आज तो छोड़ दे रहे हैं। अगर 02 दिन में पैसे की व्यवस्था नहीं किये तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे या जान से मारकर फेंक देंगे।" वह काफी डर गया, इसलिये यह बात किसी से नहीं बतायी। मोटरसाइकिल से वह और उसका मित्र दुष्यन्त दिनाँक 22.12.2025 को रेलवे ओवर ब्रिज से बच्चा जेल रोड नेहरूनगर होते हुए सिद्धन मन्दिर की ओर जा रहे थे। दुष्यन्त मोटरसाइकिल चला रहा था और वह पीछे बैठा था। वे लोग जैसे ही श्यामा मैरिज गार्डन वाले तिराहे पर पहुँचे तो गोलू उर्फ सत्यभान यादव ने उसे जबरन रोक लिया और गोलू ने उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर कहा कि "साले तुझसे मैंने रुपये मांगे थे और तुम्हें दो दिन का टाइम दिया था, लेकिन तुमने अभी तक रुपये नहीं दिये हैं। अभी तुम मुझे पचास हजार रुपये दो नहीं तो मैं तुम्हें गोलू मार दूंगा।" उसने अपनी जान बचाने के लिए पैंट की जेब में रखे 10,000/– रुपये निकाल कर गोलू यादव को दे दिये और अपनी जान बचायी। तब गोलू उर्फ सत्यभान यादव ने कहा कि "जितना रुपया मांगा है, उतना रुपया दो, नहीं तो गोली मार देंगे।" दुष्यन्त व उसने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। वे लोग डर गये थे और यह बात उन लोगों ने अपने घर पर भी नहीं बतायी थी। जब भूपेन्द्र तिवारी ने गोलू के खिलाफ मुकदमा लिखाया और गोलू जेल गया तो उन लोगों में भी साहस आया और उन लोगों ने गोलू के खिलाफ मुकदमा लिखाया है। **वादी मुकदमा के उक्त बयान का समर्थन साक्षी दुष्यन्त द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में किया गया है।**

10. केस डायरी के पर्चा संख्या 9 में उल्लेख है कि मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि

**सत्यभान यादव उर्फ गोलू इस तरह के अपराध अकेला नहीं करता है, बल्कि उसके साथ एक साथी भी है, जो पुलिस विभाग का सिपाही है, जिसका नाम जितेन्द्र सिंह (आवेदक) है। दोनों मिलकर पैसा लेना, किसी को जमीन के मामले में हड़काना, अगर कोई रुपया वापस मांगे तो आत्महत्या की धमकी देकर स्टेटस लगाना जैसे काम करते हैं। सिपाही एस.पी. ऑफिस में काम करता है। उक्त सिपाही के कहने पर ही गोलू यादव ने एस.ओ.जी. के प्रभारी अतुल तिवारी और सिपाही भानु का नाम लेकर आत्महत्या करने का एक स्टेटश अपने वाट्सएप्प पर लगाया था। गोलू से यह सब करवाने वाला पुलिस विभाग का सिपाही जितेन्द्र सिंह ही है।**

11. **साक्षी भूपेन्द्र तिवारी ने विवेचक को बताया है कि** गोलू यादव ने उससे भी नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये लिये थे और रुपये तो चुकता किये नहीं, बल्कि पहले उसे आत्महत्या की धमकी और फिर उसे ही डरा–धमकाकर फिरौती मांगी थी। रोहित से भी रुपये लेकर उसे वापस नहीं किये और उसे भी आत्महत्या करने की धमकी देकर परेशान करने के साथ, उससे भी अवैध रुपयों की फिरौती ली थी। **गोलू यादव का एक साथी पुलिस कार्यालय में था, जिसका नाम जितेन्द्र सिंह यादव (आवेदक) है। वह यहां पर पुलिस कार्यालय में हेड कांस्टेबिल था। वह जैसे ही गोलू को कहता था, गोलू वैसा ही करता था। जितेन्द्र सिंह यादव, गोलू यादव को मोहरा बनाकर कई लोगों से रुपये खाए है और जो भी अपने रुपये मांगता था, तो जितेन्द्र अपने मोहरा गोलू को सामने करके उसे आत्महत्या की धमकी दिलवाने लगता था।**

12. **साक्षी भानु प्रताप द्वारा विवेचक को बयान दिया गया है कि** वह स्वाट टीम में आरक्षी के पद पर तैनात है। उसके प्रभारी अतुल तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बजाज फाइनेंस प्रकरण से संबंधित मुकदमे में वांछित अभियुक्त दिनेश कार्तिक, जो गोलू उर्फ सत्यभान का सहयोगी है, से गोलू यादव ने 60,000/– रुपये लेकर दिनेश कार्तिक का नाम मुकदमे से निकलवाने का आश्वासन दिया था, जिस पर उनकी टीम द्वारा गोलू यादव की तलाश की गयी थी तो गोलू यादव एस.ओ.जी. प्रभारी को शहर में मिला था। वह भी साथ में था। उससे पूछताछ की गयी थी उसने कहा था कि उसने मुकदमे से नाम निकलवाने के लिए रुपये लिये हैं, जो उखाड़ना है, उखाड़ लो। इसके बात गोलू यादव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके से चला गया। इसके बाद गोलू ने एस.ओ.जी. प्रभारी अतुल तिवारी व उसके (साक्षी के) कारण आत्मदाह करने का वाट्सएप्प पर स्टेटस लगाया था। इसके बाद जानकारी की और मुखबिरों को एक्टिवेट किया तो पता चला कि यह काम अकेले गोलू का नहीं है, बल्कि इस घटना को कारित कराने में मुख्य आरक्षी जितेन्द्र सिंह यादव का रोल है। जितेन्द्र और गोलू मिलकर ऐसे कई काम कर चुके हैं। गोलू यादव जो भी काम करता है, उसके पीछे का असली सूत्रधार मुख्य आरक्षी जितेन्द्र यादव है। उसके पास इन दोनों की एक आडियो क्लिप है, जो उसे मुखबिर ने दी है, जो वह पेन ड्राइव में दे रहा है। आरक्षी जितेन्द्र यादव व उसका साथी गोलू यादव जो धन अर्जित करने के लिए आम जनमानस एवं पुलिस कर्मियों को अपने बड़े–बड़े लोगों, नेताओं व अधिकारियों से मेल जोल बताकर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। ये लोग विभिन्न विभागों में लोगों की नौकरी लगवाने के नाम पर अवैध रूप से धनराशि प्राप्त करते हैं और काफी लोगों को डरा धमकाकर धन प्राप्त किये हैं। अनुचित कार्य कराने के लिए आत्महत्या जैसे स्टेटस भी सोशल मीडिया पर लगाकर अनुचित कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है।

13. **साक्षी अनुराग अवस्थी ने विवेचक को बयान दिया है कि** उसे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिस कार्यालय की प्रधान शाखा में कार्यरत मुख्य आरक्षी जितेन्द्र सिंह यादव अनाधिकृत अवैध कार्यों में संलिप्त है। उसके द्वारा अपनी पहुँच बड़े–बड़े अधिकारियों व नेताओं से बताकर धौंस दिखायी जाती है और थाना कोतवाली ललितपुर के साथ–साथ अन्य थानों व पुलिस कार्यालय की गोपनीयता भी भंग की गयी है और आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए महिला पुलिस कर्मियों के प्रति नकारात्मक सोच रखता है और फोन द्वारा उन्हें परेशान करता है।

कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध कार्यवाही करने की सोचे तो यह पहले ही आत्महत्या करने की धमकी देता है। बजाज फाईनेंस वाले मुकदमें में गोलू यादव द्वारा 60,000/– रुपये लेने का तथ्य प्रकाश में आया था और उक्त गोलू को एस.ओ.जी प्रभारी अतुल तिवारी व सिपाही भानु के विरुद्ध आत्महत्या की धमकी का स्टीकर लगाने के लिए जितेन्द्र सिंह यादव द्वारा उकसाया गया था। गोलू व जितेन्द्र द्वारा मिलकर विवादित जमीनों पर पुलिस के माध्यम से कब्जा दिलाकर क्रेटा गाड़ी खरीदने का तथ्य प्रकाश में आया है। जितेन्द्र सिंह यादव ने ही, गोलू यादव को रोहित उर्फ निक्की से तमंचे का भय दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर अवैध धनराशि वसूली थी। जितेन्द्र यादव गोपनीय रूप से दूसरों लोगों की रुटीन की बातें रिकार्ड करके ब्लैकमेंलिग करके जनता के व्यक्तियों तथा पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों को दबाव में लेकर धन उगाही का काम करते हैं। **साक्षी के उपरोक्त कथनों का समर्थन साक्षी दीपेन्द्र सिंह, अतुल तिवारी द्वारा विवेचक को दिये गये अपने बयान में किया गया है।**

14. **सह अभियुक्त सत्यभान ने विवेचक को बयान दिया है कि** उसने जो भी किया है, वह सब जितेन्द्र सिंह यादव, जो कि पुलिस कार्यालय ललितपुर में दीवान है, के कहने पर किया है। जितेन्द्र सिंह यादव ने उसे फोन करके आईजी झांसी के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए भेजा था और उसी के कहने पर उसने भूपेन्द्र तिवारी और रोहित यादव के साथ अवैध रुपये लेने की घटनाएं की है। जितेन्द्र उसे उकसाकर क्रेटा गाड़ी खरीदने का लालच देकर उससे इस तरह के काम कराता था।

15. केस डायरी के पर्चा संख्या 9 एवं पर्चा संख्या 12 में आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह व सह अभियुक्त गोलू यादव उर्फ सत्यभान के मध्य फोन पर की गयी बातचीत का उल्लेख किया गया है।

16. केस डायरी के पर्चा संख्या 12 एवं पर्चा संख्या 14 में **आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह व सह अभियुक्त गोलू यादव उर्फ सत्यभान के मध्य फोन पर की गयी बातचीत** एवं पर्चा संख्या 17 में **आवेदक/अभियुक्त के वाट्सएप्प स्क्रीनशाट में की गयी चैट का उल्लेख किया गया है।**

17. केस डायरी पर **आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र द्वारा पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति उपलब्ध है**, जिसमें आवेदक/अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि **सहायक उपनिरीक्षक शीतल दुबे के संबंध में उसने जो भी किया है, उसकी वह माफी मांगता है। भविष्य में उन्हें परेशान नहीं करेगा, न ही उनसे सम्पर्क रखेगा। उसने पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की रिकार्डिंग चुपके से करके अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने फोन में रखा है, उसका प्रयोग वह जीवन में कभी नहीं करेगा। राजनेता व प्रॉपर्टी डीलर के मध्य मतभेद उत्पन्न करने के लिए जो भी रिकार्डिंग किया था, उसके लिए भी क्षमा मांगता है। अपने किये गये कृत्यों के लिए यदि भविष्य में आत्महत्या जैसा कदम उठाता है, तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उपरोक्त बातों के आधार पर उसे सुधरने का एक मौका दिया जाए। उसने गोलू के साथ मिलकर एस.ओ.जी. के संबंध में उच्चाधिकारियों को फर्जी व झूठे सबूत भेजने के कृत्य किये है, उसके लिए भी माफी मांगता है। उसने जाति के आधार पर लोगों में जो मतभेद पैदा किये हैं, उसके लिए भी माफी मांगता है और भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा।** अपने कर्तव्यों का निर्वहन व ड्यूटी पूर्णतः ईमानदारी से करेगा। **आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में उक्त पत्र के संबंध में कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि उक्त पत्र उससे अनुचित दबाव, प्रभाव, धमकी, वचन अथवा उत्प्रेरणा से लिखवाया गया है।**

18. आवेदक/अभियुक्त का इस मुकदमे के अतिरिक्त निम्न मुकदमो का आपराधिक इतिहास बताया गया है–

1. **मुकदमा अपराध संख्या 1478/2025, धारा 126(2), 226, 308(5), 316(2), 351(3), 352, 61(2) बी.एन.एस.,**

2. **मुकदमा अपराध संख्या 391/2026 धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,**
3. **मुकदमा अपराध संख्या 323/2026 धारा 196, 221, 249, 308(2), 308(5), 318(4), 351(2), 61(2) बी.एन.एस.,**

19. आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के परिशीलन से ज्ञात होता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने, सदोष अवरोध उत्पन्न करके अवैध वसूली, अमानत में ख्यानत, गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी तथा गिरोह बनाकर समाज विरोध क्रिया–कलाप में लिप्त होने के अपराध किये गये हैं। आपराधिक इतिहास के परिशीलन से यह भी ज्ञात होता है कि वह नियमित अंतराल पर समान प्रकृति के अपराध कारित करने में संलिप्त रहा है और यदि उसे जमानत पर छोड़ा जायेगा, तो उसके पुनः गंभीर प्रकृति के अपराध में संलिप्त होने की युक्ति–युक्त संभावना है।

20. अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं उपबंधित दण्ड की प्रकृति, **आवेदक/अभियुक्त की भूमिका एवं आपराधिक इतिहास** के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना इस स्तर पर जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

मुकदमा अपराध संख्या 91/2026 धारा 316(2), 108, 56, 3(5), 61(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 899/2026 निरस्त किया जाता है।

**दिनाँकः 10.07.2026**

**(अशोक कुमार सिंह),**
**सत्र न्यायाधीश,**
**ललितपुर।**